रजिस्ट्री सं॰ डी॰-221

REGISTERED NO. D-221

भारत का राजपत्र
The Gazette of India

असाधारण

EXTRAORDINARY

भाग 2 — अनुभाग 1क

PART II — SECTION 1A

प्राधिकार से प्रकाशित

PUBLISHED BY AUTHORITY

सं॰ 5] नई दिल्ली, रविवार, 19 नवंबर, 2000/ 28 कार्तिक, 1922 (शक) [खंड XXXVI

No. 5] NEW DELHI, SUNDAY, NOVEMBER 19, 2000/KARTIKA 28, 1922 (SAKA) [VOL. XXXVI

इस भाग में भिन्न पृष्ठ संख्या दी जाती है जिससे कि यह अलग संकलन के रूप में रखा जा सके।

Separate paging is given to this Part in order that it may be filed as a separate compilation.

विधि, न्याय और कंपनी कार्य मंत्रालय

(विधायी विभाग)

नई दिल्ली, 19 नवंबर, 2000/28 कार्तिक, 1922 (शक)

दि मध्य प्रदेश रिआर्गेनाइजेशन ऐक्ट, 2000; (2) दि उत्तर प्रदेश रिआर्गेनाइजेशन ऐक्ट, 2000; और (3) दि बिहार रिआर्गेनाइजेशन ऐक्ट, 2000 के निम्नलिखित हिन्दी अनुवाद राष्ट्रपति के प्राधिकार से प्रकाशित किए जाते हैं और ये राजभाषा अधिनियम, 1963 (1963 का 19) की धारा 5 की उपधारा (1) के खण्ड (क) के अधीन उनके हिन्दी में प्राधिकृत पाठ समझे जाएंगे:—

MINISTRY OF LAW, JUSTICE AND COMPANY AFFAIRS

(LEGISLATIVE DEPARTMENT)

New Delhi, November 19, 2000/Kartika 28, 1922 (Saka)

The translations in Hindi of the following, namely:—(1) The Madhya Pradesh Reorganisation Act, 2000; (2) The Uttar Pradesh Reorganisation Act, 2000; and (3) The Bihar Reorganisation Act, 2000 are hereby published under the authority of the President and shall be deemed to be the authoritative texts thereof in Hindi under clause (*a*) of sub-section (*1*) of section 5 of the Official Languages Act, 1963 (19 of 1963) :—

सत्यापित
19-2-16
सहायक नियंत्रक (वाणिज्य)
भारत सरकार, प्रकाशन विभाग
शहरी विकास मंत्रालय
सिविल लाईन्स, दिल्ली-54

मध्य प्रदेश पुनर्गठन अधिनियम, 2000

(2000 का अधिनियम संख्यांक 28)

[25 अगस्त, 2000]

विद्यमान मध्य प्रदेश राज्य के पुनर्गठन और उससे संबंधित विषयों का उपबंध करने के लिए अधिनियम

भारत गणराज्य के इक्यावनवें वर्ष में संसद् द्वारा निम्नलिखित रूप में यह अधिनियमित हो:—

भाग 1

प्रारंभिक

संक्षिप्त नाम। 1. इस अधिनियम का संक्षिप्त नाम मध्य प्रदेश पुनर्गठन अधिनियम, 2000 है।

परिभाषाएं। 2. इस अधिनियम में, जब तक कि संदर्भ से अन्यथा अपेक्षित न हो,—

(क) "नियत दिन" से वह दिन अभिप्रेत है, जो केन्द्रीय सरकार, राजपत्र में अधिसूचना द्वारा, नियत करे;

(ख) "अनुच्छेद" से संविधान का कोई अनुच्छेद अभिप्रेत है;

1950 का 43 (ग) "सभा निर्वाचन-क्षेत्र", "परिषद् निर्वाचन-क्षेत्र" और "संसदीय निर्वाचन-क्षेत्र" के वही अर्थ हैं जो लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम, 1950 में हैं;

(घ) "निर्वाचन आयोग" से राष्ट्रपति द्वारा अनुच्छेद 324 के अधीन नियुक्त निर्वाचन आयोग अभिप्रेत है;

(ङ) "विद्यमान मध्य प्रदेश राज्य" से नियत दिन के ठीक पूर्व विद्यमान मध्य प्रदेश राज्य अभिप्रेत है;

(च) "विधि" के अन्तर्गत संपूर्ण विद्यमान मध्य प्रदेश राज्य में या उसके किसी भाग में, नियत दिन के ठीक पूर्व विधि का बल रखने वाली कोई अधिनियमिति, अध्यादेश, विनियम, आदेश, उपविधि, नियम, स्कीम, अधिसूचना या अन्य लिखत हैं;

(छ) "अधिसूचित आदेश" से राजपत्र में प्रकाशित कोई आदेश अभिप्रेत है;

(ज) मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ राज्य के संबंध में, "जनसंख्या अनुपात" से 485.7:176.2 का अनुपात अभिप्रेत है;

सत्यापित
19-2-16
सहायक नियत्रंक (वाणिज्य)
भारत सरकार, प्रकाशन विभाग
शहरी विकास मंत्रालय
सिविल लाईन्स, दिल्ली-54

तीसरी अनुसूची

(धारा 19 देखिए)

संविधान (अनुसूचित जातियां) आदेश, 1950 का संशोधन

संविधान (अनुसूचित जातियां) आदेश, 1950 में,-

(क) पैरा 2 में, "22" अंकों के स्थान पर "23" अंक रखें जाएंगे;

(ख) अनुसूची में भाग 22 के पश्चात् निम्नलिखित अंत:स्थापित किया जाएगा, अर्थात्:—

"भाग 23—छत्तीसगढ़

1. औधेलिया
2. बागरी, बागड़ी
3. बेहना, बहाना
4. बलाही, बलाई
5. बांछड़ा
6. बरहार, बसोड़
7. बरगूंडा
8. बसोर, बुरुड़, बंसोर, बंसोड़ी, बांसफोड़, बसार
9. बेड़िया
10. बेलदार, सुनकर
11. भंगी, मेहतर, बाल्मिकी, लालबैगी, धरकर
12. भानुमती
13. चड़ार
14. चमार, चमारी, बेरवा, भांबी, जाटव, मोची, रेगर, नोना, रोहिदास, रामनामी, सतनामी, सूर्यबंशी, सूर्यराम नामी, अहिरवार, चमार, मांगन, रैदास
15. चिडार
16. चिकवा, चिकवी
17. चितार
18. दहैत, दहायत, दाहात
19. देवार
20. धानुक
21. ढेड़, ढेर
22. डोहोर
23. डोम, डूमार, डोम, डोमार, डोरिस
24. गांड़ा, गांडी
25. घासी, घसिया
26. होलिया
27. कंजर

सत्यापित

एल. जे. के.
19-2-16

सहायक नियत्रंक (वाणिज्य)
भारत सरकार, प्रकाशन विभाग
शहरी विकास मंत्रालय
सिविल लाईन्स, दिल्ली-54

28. कतिया, पथरिया

29. खटीक

30. कोली, कोरी

31. खांगर, कनेरा, मिर्धा

32. कुचबंधिया

33. महार, मेहरा, मेहर

34. मांग, मांग गरौड़ी, मांग गारूड़ी, दंखनी मांग, मांग महाशी, मदारी, गारूड़ी, राधे मांग

35. मेघवाल

36. मोघिया

37. मुसखान

38. नट, कालबेलिया, सपेरा, नवदिगार, कुबुतार

39. पासी

40. रूज्झार

41. सांसी, सांसिया

42. सिलावट

43. झमराल।"।

सत्यापित

19-2-16

सहायक नियंत्रक (वाणिज्य)
भारत सरकार, प्रकाशन विभाग
शहरी विकास मंत्रालय
सिविल लाईन्स, दिल्ली-54